

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
बनाम सरपंच ग्राम पंचायत ठेठार आदि
रामकुमार आदि
म मुकदमा- निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम
करण संख्या- 46/2021 जीसीएमएस प्र0स0- 2021/46

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हए

22.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता दोनो ही हाजिर नही आये। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत का संबंधित अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

